

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:- संस्था/चि0अ0/ए0टी/प02/14/SP-31

दिनांक:- 26/10/14

-: आदेश :-

डा0 प्रवीण शर्मा चिकित्सा अधिकारी सीएचसी राह, भरतपुर की पीएचसी जनूथर, भरतपुर में की गई प्रतिनियुक्ति निरस्त करते हुए पुनः मूल पदस्थापन स्थान सीएचसी राह, भरतपुर पदस्थापन किया जाता है।

डा0 रीना जैन चिकित्सा अधिकारी पीएचसी इसरदा, सवाईमाधोपुर जो कि कार्यव्यवस्था के अंतर्गत सीएचसी कुंडेरा, सवाईमाधोपुर में कार्यरत है का समायोजन सीएचसी कुंडेरा, सवाईमाधोपुर में रिक्त पद पर किया जाता है।

डा0 रवि कुमार सैनी चिकित्सा अधिकारी पीएचसी बालेर, सवाईमाधोपुर जो कि कार्यव्यवस्था के अंतर्गत पीएचसी सूरवाल, सवाईमाधोपुर में कार्यरत है का समायोजन पीएचसी सूरवाल, सवाईमाधोपुर में रिक्त पद पर किया जाता है।


इस निदेशालय के समसंख्यक आदेश क्रमांक एसपी-18 दिनांक 18/10/14 के क्रम सं0 26 पर अंकित डा0 देश दीपक क0वि0 मेडिसिन एवं क्रम सं0 27 पर अंकित डा0 अंजू मिढढा चि0अ0 के सीएचसी केसरीसिंहपुर, श्रीगंगानगर से सीएचसी पावटा, जयपुर किये गये स्थानांतरण एतद द्वारा तुरंत प्रभाव से निरस्त किया जाता है। फलस्वरूप डा0 देश दीपक क0वि0 मेडिसिन एवं डा0 अंजू मिढढा चि0अ0 यथावत सीएचसी केसरीसिंहपुर, श्रीगंगानगर में पदस्थापित रहेंगे।

इस निदेशालय के समसंख्यक आदेश क्रमांक एसपी-30 दिनांक 25/10/14 के क्रम सं0 62 पर अंकित डा0 प्रगति जैन चि0अ0 के वर्तमान पदस्थापन स्थान में सीएचसी महुवा दौसा के स्थान पर सीएचसी महुवा, भीलवाडा संशोधित कर पढा जावे।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय, राज0, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग (ग्रुप-2), राजस्थान, जयपुर।
4. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक अधिकारी/अधीक्षक, मेडिकल कालेज संबंधित।
5. निजी सहायक, निदेशक (जन स्वास्थ्य), निदेशालय, जयपुर।
6. संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन संबंधित।
7. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी/मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी संबंधित।
8. संबंधित चिकित्सक अपनी उपस्थिति संबंधित प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक अधिकारी/निदेशक/प्रमुख चिकित्सा अधिकारी,/मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/नियंत्रण अधिकारी को देवे तथा सभी संबंधित को निर्देशानुसार लेख है कि पद रिक्त नहीं होने की स्थिति में भी चिकित्सक को कार्यग्रहण करावें तत्पश्चात अधोहस्ताक्षरकर्ता से मार्गदर्शन मांगे।
9. प्रभावी केन्द्रीय सर्वर रूप, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को आज ही विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करावें।
10. संबंधित चिकित्सक
11. आदेश /निजी पत्रावली।


निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर